

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 04/2015  
अतरसिंह बनाम प्रेमसिंह

निर्णय

दिनांक 11.7.2018

11.7.2018 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्त को कई बार बार-बार आवाजें दिलवायी गईं न तो वकील अपीलान्त उपस्थित आये न ही अपीलान्त स्वयं उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में शेष रैस्पों 3 व 4 की तलबी हेतु मुनासिब कार्यवाही के लिये वकील अपीलान्त को दिनांक 12.8.2016 से निरन्तर ताकीद की जा रही है। इतना लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त भी शेष रैस्पों की तलबी हेतु उनकी ओर से की जाने वाली मुनासिब कार्यवाही न किया जाना एवं आज बार-बार आवाजें दिलवाये जाने के बावजूद उपस्थित न होना उनकी केस को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को दर्शाता है। लिहाजा यह प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

सत्यमेव जयते

अति० जिला कलक्टर  
भरतपुर

Web Copy - Not Official